न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी, नोहर जिला हनुमानगढ

पीठासीन अधिकारी का नाम : **सत्यनारायण (आर0ए0एस0)**

प्रकरण संख्या – 337 / 2023

अनवान : –

1. बंन्शीलाल पुत्र भागीरथ जाति कुम्हार (प्रजापति) साकिन रामगढ़ तहसील नोहर।

–वादी

बनाम्

1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार (राजस्व) नोहर।

– प्रतिवादी

2. विनोद पुत्र भागीरथ जाति कुम्हार (प्रजापति) साकिन रामगढ़ तहसील नोहर।

– तरतीबी प्रतिवादी

दावा बाबत अन्तर्गत धारा 88
राजस्थान काश्त0 अधि0 1955

उपस्थिति :– श्री नरेन्द्र किशोर जोशी अधिवक्ता **वादीगण**
पेरोकार राज

निर्णय दिनांकः

संक्षेप में तथ्य इस प्रकार से है कि वादी ने जरिये अधिवक्ता यह वाद अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत इस आशय का पेश किया की रोही मौजा 18 डीपीएन तहसील नोहर के खाता संख्या 139 / 137 के प0न0 379 / 439 की कुल 0. 5310 हैक्ट भूमि जिसमें संयुक्त रूप से विनोद, बन्शीलाल पुत्रगण भागीरथ जाति कुम्हार साकिन रामगढ़ तहसील नोहर संयुक्त खाता में दर्ज राजस्व रिकार्ड है।

रोही मौजा 18 डीपीएन तहसील नोहर के खाता संख्या 139 / 137 की कुल 0. 5310 हैक्ट भूमि में विनोद, बन्शीलाल पुत्र भागीरथ दर्ज था एवं भूपसिंह, कुलदीप पि0 हरिराम के बैचान करने के बाद नामान्तरण संख्या 577 दिनांक 20.09.2014 में विनोद, बन्शीलाल पुत्र भागीरथ की बजाय विनोद, बन्शीलाल पुत्र हरिराम दर्ज कर दिया गया है जो कि राजस्व विभाग के कर्मचारियों द्वारा सहवन से दर्ज किया गया है, जिसे वादी न्यायालय से पिता की वल्दीयत सही करवा पाने का अधिकारी है।

वादी ने प्रतिवादी स0 1 को कई दफा कहा की वादी के पिता का नाम राजस्व रिकार्ड में हरिराम की जगह भागीरथ कर दे तो कुछ दिन तो आजकल करते रहे अंत में इन्कार हो गये इसलिए यह दावा पेश किया गया है।

वाद पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादी को जरिये सम्मन तलब किया गया। नायब तहसीलदार रामगढ़ द्वारा अपने पत्रांक 485 दिनांक 07.07.2023 द्वारा रिपोर्ट इस आशय की पेश की गई कि राजस्व रिकार्ड में वादी के पिता का नाम बैयनामा के आधार पर नामान्तरण दर्ज करते समय सहवन से हरिराम दर्ज हो गया जबकि वादी एवं तरतीबी प्रतिवादी स0 2 के पिता का सही व वास्तविक नाम भागीरथ है अतः राजस्व रिकार्ड में वादी के पिता का नाम हरिराम के स्थान पर भागीरथ किया जाना उचित है।

उपखण्ड अधिकारी
नोहर

Signature Not Verified
Digitally signed by Satya Narayan
Date: 2023.12.26 15:12:14 IST
Reason: SelfAttested

बहस वकील वादी सुनी गई। दौराने बहस वकील वादी ने कथन किया कि रोही मौजा 18 डीपीएन तहसील नोहर के खाता संख्या 139/137 की कुल 0.5310 हैक्ट भूमि में विनोद, बन्शीलाल पुत्र भागीरथ दर्ज था एवं भूपसिंह, कुलदीप पि0 हरिराम के बैचान करने के बाद नामान्तरण संख्या 577 दिनांक 20.09.2014 में विनोद, बन्शीलाल पुत्र भागीरथ की बजाय विनोद, बन्शीलाल पुत्र हरिराम दर्ज कर दिया गया है जो कि राजस्व विभाग के कर्मचारियों द्वारा सहवन से दर्ज किया गया है अतः मुताबिक तहसीलदार रिपोर्ट व बैयनामा के आधार पर वादी एवं तरतीबी प्रतिवादी स0 2 के पिता का नाम हरिराम के स्थान पर भागीरथ किया जावे।

हमारे द्वारा अभिभाषक की बहस पर मनन किया गया। पत्रावली में प्रस्तुत दस्तावेजों का अवलोकन किया गया। वाद में प्रस्तुत रिकार्ड के अनुसार की रोही मौजा 18 डीपीएन तहसील नोहर के खाता संख्या 139/137 के प0न0 379/439 की कुल 0.5310 हैक्ट भूमि जिसमें संयुक्त रूप से विनोद, बन्शीलाल पुत्रगण भागीरथ जाति कुम्हार साकिन रामगढ़ तहसील नोहर संयुक्त खाता में दर्ज राजस्व रिकार्ड है। वादी द्वारा प्रस्तुत बैयनामा के अनुसार स्पष्ट साबित है कि उक्त वाद भूमि वादी एवं तरतीबी प्रतिवादी स0 2 द्वारा जरिये बैयनामा खरीद की गई है। बैयनामा में वादी एवं तरतीबी प्रतिवादी स0 2 के पिता का नाम भागीरथ दर्ज है। नायब तहसीलदार रामगढ़ के द्वारा बैयनामा के आधार पर नामान्तरण दर्ज करते समय सहवन से वादी एवं तरतीबी प्रतिवादी संख्या 2 के पिता का नाम भागीरथ के स्थान पर हरिराम दर्ज हो गया की रिपोर्ट प्रेषित की गई है। वादी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों एवं सरपंच ग्राम पंचायत रामगढ़ द्वारा भी वादी के पिता के नाम के संबंध में तस्दीक पेश की गई है। अतः वाद वादी साक्ष्य सबूतों, नायब तहसीलदार रामगढ़ की रिपोर्ट एवं सरपंच ग्राम पंचायत रामगढ़ की तस्दीक के आधार पर स्वीकार योग्य है।

<u>क्रियात्मक आदेश</u>

अतः वादी द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य सबूतों एवं नायब तहसीलदार रामगढ़ की रिपोर्ट एवं सरपंच ग्राम पंचायत रामगढ़ की तस्दीक के आधार पर साबित होने के कारण वाद वादी स्वीकार किया जाता है कि रोही मौजा 18 डीपीएन तहसील नोहर के खाता संख्या 139/137 के प0न0 379/439 की कुल 0.5310 हैक्ट भूमि जिसमें संयुक्त रूप से विनोद, बन्शीलाल पुत्रगण भागीरथ जाति कुम्हार साकिन रामगढ़ तहसील नोहर संयुक्त खाता में दर्ज राजस्व रिकार्ड है, में **वादी बन्शीलाल पुत्र हरीराम के स्थान पर बंशीलाल पुत्र भागीरथ एवं तरतीबी प्रतिवादी स0 2 विनोदकुमार पुत्र हरीराम के स्थान पर विनोद पुत्र भागीरथ के अंकन किये जाने कि घोषणा की जाती है।** किसी सक्षम न्यायालय आदि का स्थगन आदेश अथवा वाद विवाद न हो तो उपरोक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में [illegible] दुरूस्त करे। यदि किसी किसी न्यायालय में कोई अपराधिक वाद या जांच [illegible] विनोदकुमार पि0 हरीराम के नाम से विचाराधीन हो या किसी सरकारी [illegible] विनोदकुमार पि0 हरीराम के नाम से देय बकाया हो तो उसके लिए वादी एवं तरतीबी प्रति[illegible] स0 2 का नाम बन्शीलाल, विनोदकुमार पि0 हरीराम ही लागू होगा। अगर नाम संशोधन को लेकर कोई तथ्य छुपाया गया हो और निकट

उपखण्ड अधिकारी
नोहर

Signature Not Verified
Digitally signed by Satya Narayan
Date: 2023.12.26 15:12:14 IST
Reason: SelfAttested

भविष्ट में प्रकट होता है तो वादी स्वयं जिम्मेदार होगा। खर्चा उभयपक्ष अपना अपना वहन करेंगे। तहसीलदार नोहर को निर्णय की प्रति प्रेषित कर पालना हेतु पृथक से लिखा जावें। पर्चा डिक्री जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 30/10/23 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया पत्रावली फैसला शुमार होकर नम्बर से कम की जावे तथा दाखिल दफ्तर हों एवं उक्त निर्णय शामिल पत्रावली किया गया।

(सत्यनारायण R.A.S)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
एवं सहायक कलक्टर
नोहर

Signature Not Verified

Digitally signed by Satya Narayan
Date: 2023.12.26 15:12:14 IST
Reason: SelfAttested

पर्चा - डिक्री

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी, नोहर जिला हनुमानगढ
पीठासीन अधिकारी का नाम : **सत्यनारायण (आर0ए0एस0)**

प्रकरण संख्या – 337 / 2023

अनवान : –

1. बंन्शीलाल पुत्र भागीरथ जाति कुम्हार (प्रजापति) साकिन रामगढ़ तहसील नोहर।

–वादी

बनाम्

1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार (राजस्व) नोहर।

– प्रतिवादी

2. विनोद पुत्र भागीरथ जाति कुम्हार (प्रजापति) साकिन रामगढ़ तहसील नोहर।

– तरतीबी प्रतिवादी

वाद अन्तर्गत धारा 88–89 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955
राजस्व वाद संख्या 367 सन 2023 निर्णय दिनांक.......

आज यह वाद मुझ सत्यनारायण उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलक्टर नोहर के समक्ष वकील वादी श्री नरेन्द्र किशोर जोशी एवं राज पेरोकार की उपस्थिति में निर्णयार्थ / अंतिम निपटारे हेतु प्रस्तुत होने पर वाद वादी डिक्री किया जाता है कि रोही मौजा 18 डीपीएन तहसील नोहर के खाता संख्या 139 / 137 के प0न0 379 / 439 की कुल 0.5310 हैक्ट भूमि जिसमें संयुक्त रूप से विनोद, बन्शीलाल पुत्रगण भागीरथ जाति कुम्हार साकिन रामगढ़ तहसील नोहर संयुक्त खाता में दर्ज राजस्व रिकार्ड है, में **वादी बन्शीलाल पुत्र हरीराम के स्थान पर बंन्शीलाल पुत्र भागीरथ एवं तरतीबी प्रतिवादी स0 2 विनोदकुमार पुत्र हरीराम के स्थान पर विनोद पुत्र भागीरथ के अंकन किये जाने कि घोषणा की जाती है।** किसी सक्षम न्यायालय आदि का स्थगन आदेश अथवा वाद विवाद न हो तो उपरोक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद कर रिकार्ड दुरूस्त करे। यदि किसी किसी न्यायालय में कोई अपराधिक वाद या जांच बन्शीलाल, विनोदकुमार पि0 हरीराम के नाम से विचाराधीन हो या किसी सरकारी संस्था का बन्शीलाल, विनोदकुमार पि0 हरीराम के नाम से देय बकाया हो तो उसके लिए वादी एवं तरतीबी प्रतिवादी स0 2 का नाम बन्शीलाल, विनोदकुमार पि0 हरीराम ही लागू होगा। अगर नाम संशोधन को लेकर कोई तथ्य छुपाया गया हो और निकट भविष्ट में प्रकट होता है तो वादी स्वयं जिम्मेदार होगा। खर्चा उभयपक्ष अपना अपना वहन करेंगे।

यह पर्चा डिक्री आज दिनांक 30/10/23 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।

(सत्यनारायण R.A.S)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
एवं सहायक कलक्टर
नोहर

Signature Not Verified

Digitally signed by Satya Narayan
Date: 2023.12.26 15:12:14 IST
Reason: SelfAttested